रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938
No. 55] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

सा. का. नि. 62 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने हेतु प्रारुप नियम इनसे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड(i) में संख्या सा.का.नि. 958(अ) द्वारा दिनांक 6 अक्तूबर, 2016 को प्रकाशित किए गए थे, तथा जनता को उपलब्ध करवाए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 6 अक्तूबर, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थी;

और जबकि उक्त नियमों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अत:, अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के उपरांत, एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ -** (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2017 कहे जाएंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में-

(क) नियम 2 में, खण्ड (6) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाएगा, अर्थात:-

'(6क) – "बीमित महिला" से अभिप्राय उस महिला से है जो कर्मचारी है अथवा थी तथा उससे संबंधित अंशदान अधिनियम के अंतर्गत देय है अथवा देय था तथा वह इस कारण से अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए किसी भी लाभ की पात्र है तथा इसमें शामिल होंगी–

(i) एक कमिशनिंग मां जो कि एक बायोलॉजिकल मां के रूप में बच्चा रखने की इच्छा रखती है तथा भ्रूण को किसी अन्य महिला में प्लान्ट कराना पसंद करती है;

(ii) वह महिला जो तीन माह तक की आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है,';

(ख) नियम 56, उप-नियम (2) में, -

(i) शब्द "बारह सप्ताह जिसमें से छह सप्ताह से अधिक नहीं", के स्थान पर शब्द "छब्बीस सप्ताह जिसमें से आठ सप्ताह से अधिक नहीं" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पहले परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात:-

"बशर्ते कि बीमित महिला जन्म के पश्चात कमिशनिंग मां अथवा गोद लेने वाली मां, जैसा भी मामला हो, को बच्चे को सौंपने की तारीख से बारह सप्ताह के प्रसूति लाभ की पात्र होगी:

यह भी शर्त होगी कि दो अथवा दो से अधिक जीवित बच्चों वाली बीमित महिला बारह सप्ताह की अवधि के दौरान प्रसूति लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी जिसमें से छह सप्ताह से अधिक की अवधि प्रसव की संभावित तारीख से पहले नहीं होगी।"

[फा. सं. एस-38012/02/2016-सा.सु.-I]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 द्वारा तारीख 22 जून, 1950 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 22 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1166 (अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2017

G.S.R. 62(E).—Whereas draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 958(E), dated the 6th October, 2016, as required under sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th October, 2016;

And whereas, no objections and suggestions were received from persons in respect of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act,1948(34 of 1948), the Central Government after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950,-

(a) in rule 2, after clause (6), the following clause shall be inserted, namely:-

'(6A) – "insured woman" means a woman who is or was an employee in respect of whom contribution is or were payable under the Act and who is by reason thereof, entitled to any of the benefits provided under the Act and shall include--

(i) a commissioning mother who as biological mother wishes to have a child and prefers to get embryo implanted in any other woman;

(ii) a woman who legally adopts a child of upto three months of age,' ;

(b) in rule 56, in sub-rule (2),--

(i) for the words " twelve weeks of which not more than six weeks", the words "twenty-six weeks of which not more than eight weeks" shall be substituted;

(ii) after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:--

"Provided further that the insured woman shall be entitled to twelve weeks of maternity benefit from the date the child is handed over to the commissioning mother after birth or adopting mother, as the case may be:

Provided also that the insured woman having two or more than two surviving children shall be entitled to receive maternity benefits during a period of twelve weeks of which not more than six weeks shall precede the expected date of confinement.".

[F.No.S-38012/02/2016-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 *vide* number S.R.O.212, dated the 22nd June, 1950 and lastly amended *vide* number G.S.R.1166 (E) dated the 22nd December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.24 22:39:50 +05'30'